**परिपत्र**

**परिपत्र संख्या : पीएफआरडीए/2026/46/आरईजी-पीओपी/08** **दिनांक : 28.08.2026**

सेवा में,

सभी उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी), सभी केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) एवं अन्य हितधारक

**विषय : एनपीएस के अंतर्गत सभी योजनाओं एवं एनपीएस-लाईट के लिए पीओपी पर लागू प्रभार संरचना के संबंध में**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 (*इसके पश्चात पीओपी विनियम के रूप में संदर्भित*) के विनियम 16 में यह प्रावधान किया गया है कि *“जो प्रभार उपस्थिति अस्तित्व द्वारा अभिदाता से एकत्रित किये जाएं, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-अधिकथित सीमा, संग्रहण के तरीके और रीति के अध्यधीन होंगे।”*

**2.** इसके अतिरिक्त, पीएफआरडीए द्वारा “राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत योजनाओं के वर्गीकरण एवं प्रस्तुतीकरण संबंधी मानकीकृत रूपरेखा” विषय पर दिनांक **28.08.2026** को जारी परिपत्र के माध्यम से सामान्य योजनाओं (कॉमन स्कीम्स) तथा एमएसएफ के अंतर्गत शुरू की गई योजनाओं के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया गया है।

**3.** पीओपी विनियमों के अनुसार, एनपीएस के अंतर्गत सभी योजनाओं एवं एनपीएस लाईट के लिए पीओपी पर लागू प्रभारों को एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जा रहा है:

| **दिनांक 01.10.2026 से एनपीएस के अंतर्गत सभी योजनाओं एवं एनपीएस लाईट के लिए लागू प्रभार संरचना** | |
|---|---|
| **विवरण** | **प्रभार** |
| एकमुश्त ऑनबोर्डिंग (योजना में शामिल होने का) प्रभार | प्रति पीआरएएन ₹200/-* (जिसमें ₹50/- प्रति तिमाही के समतुल्य राशि सीआरए द्वारा यूनिटों के निरस्तीकरण के माध्यम से काटी जाएगी तथा ऑनबोर्डिंग पूरी होने वाली तिमाही के अगले माह में पीओपी को देय होगी)। |
| वार्षिक प्रभार | निष्क्रिय खातों को छोड़कर, सभी योजनाओं के लिए एयूएम का 0.20% प्रति वर्ष, जिसे एनएवी के माध्यम से समायोजित किया जाएगा और तिमाही आधार पर पीओपी को देय होगा। |
| टिप्पणियाँ :<br>*i. लागू जीएसटी अथवा अन्य कर इसके अतिरिक्त होंगे।*<br>*ii. निष्क्रिय खाते पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा। निष्क्रिय खाते से आशय ऐसे खाते/खातों से है, जिनकी पहचान सभी सीआरए में एक विशिष्ट पैन संख्या द्वारा की जाती है और प्रत्येक तिमाही के अंत में यथानिर्धारित के अनुसार किसी तिमाही में अंशदान किए जाने के पश्चात लगातार चार तिमाहियों तक कोई अंशदान नहीं किया गया हो।*<br>*iii. *जहाँ अभिदाता को पीओपी और अभिदाता के बीच पूर्णतः डिजिटल एवं बिना आमने-सामने (non-face-to-face) पद्धति से योजना में शामिल किया जाता है, वहाँ पीओपी के पंजीकरण के समय तथा उसके बाद प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ₹100/- का न्यूनीकृत ऑनबोर्डिंग प्रभार लागू होगा।* | |



5 वीं मंजिल, टॉवर ई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, न्यू दिल्ली - 110029
**5th Floor, Tower E, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi – 110 029**
**Phone: 011 - 26517501, 26517503. website: www.pfrda.org.in**

nps national pension system #Zaruri Hai

4. न्यूनतम अंशदान: एनपीएस के अंतर्गत अभिदाताओं को शामिल करने के समय न्यूनतम अंशदान ₹250/- तथा उसके पश्चात अनुवर्ती अंशदान करने पर न्यूनतम अंशदान ₹10/- होगा।

5. इसके अतिरिक्त, यह भी ध्यान रहे कि ई-एनपीएस के माध्यम से शामिल किए गए अभिदाता, जो बाद में ई-एनपीएस अथवा डी-रेमिट के माध्यम से अंशदान करते हैं, किसी भी पीओपी प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। यह भी ध्यान रहे कि पीओपी के माध्यम से शामिल होने वाले अभिदाता, जो बाद में ई-एनपीएस अथवा डी-रेमिट के माध्यम से अंशदान करते हैं, ऊपर निर्धारित पीओपी प्रभारों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

6. सभी पीओपी के लिए उनकी संबंधित वेबसाइटों पर अद्यतन प्रभार संरचना को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना और तत्काल प्रभाव से उनके हितधारकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना अनिवार्य है। यह जानकारी डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान लेन-देन के समय पॉप-अप अधिसूचना के माध्यम से अभिदाताओं के सामने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित भी की जानी चाहिए।

7. पीएफआरडीए के दिनांक 28.08.2026 के परिपत्र संख्या "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत योजनाओं के वर्गीकरण एवं प्रस्तुतीकरण संबंधी मानकीकृत रूपरेखा" में यथा-विनिर्दिष्ट "4A स्कीम" के अंतर्गत पीओपी के लिए प्रभार संरचना, उनके संबंधित दिशानिर्देशों / परिपत्रों द्वारा अभिशासित होगी।

8. यह परिपत्र**, दिनांक 01.10.2026 से** *एनपीएस (सर्व नागरिक) के अंतर्गत एनपीएस वात्सल्य एवं एनपीएस लाईट सहित सामान्य योजनाओं के लिए उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) की प्रभार संरचना" से संबंधित* दिनांक 10.03.2026 को जारी परिपत्र संख्या पीएफआरडीए/2026/16/आरईजी-पीओपी/01 का स्थान ले लेगा।

9. केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों (सीआरए) द्वारा इस प्रभार संरचना का वित्त-वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही (Q3) से प्रभारों की कटौती के लिए कार्यान्वयन किया जाएगा।

10. यह परिपत्र, पेंशन निधियों की योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा तथा पेंशन उद्योग के संवर्धन एवं विकास के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 14 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 14 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है।

**भवदीय,**

**(आशीष कुमार)**
**मुख्य महाप्रबंधक**
**विनियमन अंशदान प्रबंधन विभाग (पीओपी)**



5 वीं मंजिल, टॉवर ई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, न्यू दिल्ली - 110029
**5th Floor, Tower E, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi – 110 029**
**Phone: 011 - 26517501, 26517503. website: www.pfrda.org.in**

nps national pension system #Zaruri Hai

**Circular**

**Circular No.: PFRDA/2026/46/REG-POP/08** **Date: 28.08.2026**

To

All Point of Presence (PoPs), All Central Record Keeping Agencies (CRAs) and other Stakeholders

**Subject: Charge structure applicable to PoPs for All Schemes under NPS and NPS Lite**

Regulation 16 of Pension Fund Regulatory and Development Authority (Point of Presence) Regulations, 2018 (hereinafter *referred to as "POP Regulations")* states that *"the charges that may be collected by the point of presence from the subscriber shall be subject to the limit, mode and manner of collection, as permitted by the Authority".*

2. Further, reference is drawn to, PFRDA circular dated 28.08.2026 on "Standardised framework for classification and presentation of Schemes under the National Pension System (NPS)", which removes the distinction between Common Schemes and schemes introduced under the MSF.

3. In accordance with the PoP Regulations, the applicable charges for PoPs for All Schemes under NPS and NPS Lite are hereby revised as under:

| **Charge structure applicable from 01.10.2026 for All Schemes under NPS and NPS Lite** | |
|---|---|
| **Particulars** | **Charges** |
| One Time Onboarding charge | Rs. *200/- per PRAN (equivalent of Rs. 50/- on quarterly basis will be deducted through cancellation of units by CRA(s) and payable to PoP in the month subsequent to the quarter in which on-boarding is completed). |
| Annual charges | 0.20% p.a. of the AUM to be adjusted through NAV and payable to PoP on quarterly basis, for all schemes other than Dormant accounts. |

Notes:

i. *GST or other taxes as applicable, shall be additional.*

ii. *Dormant Account will not be charged. Dormant account is defined as such account(s) identified by a unique PAN across all CRAs, where subsequent to a contribution in a quarter, there is no contribution for four consecutive quarters as identified at the end of each quarter.*

iii. **Where subscriber onboarding is undertaken through a fully digital and non-face-to-face mode, between the PoP and the subscriber, a reduced one-time onboarding charge of Rs. 100/- may be applicable, as may be determined by the Authority at the time of registration of PoP and thereafter.*



5 वीं मंजिल, टॉवर ई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, न्यू दिल्ली - 110029
**5th Floor, Tower E, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi – 110 029**
**Phone: 011 - 26517501, 26517503. website: www.pfrda.org.in**

nps national pension system #Zaruri Hai

4. Minimum Contribution: There shall be a minimum contribution of Rs. 250/- at the time of onboarding and Rs. 10/- at the time of making subsequent contributions for subscribers under NPS.

5. Further, it may be noted that subscribers onboarded through e-NPS and making subsequent contributions through e- NPS or D-Remit shall not be liable to pay any PoP charges. It may also be noted that subscribers onboarded through a POP and making subsequent contributions through e-NPS or D-Remit, shall be liable to pay PoP charges as prescribed above.

6. All PoPs are mandated to publicly display their updated charge structure on their respective websites and bring this attention to their stakeholders on immediate basis. This information must also be clearly presented to subscribers during the transaction process through pop-up notification, in their digital on- boarding journey.

7. Charge structure for PoPs under “4A Schemes”, as *specified* in PFRDA circular “Standardised framework for classification and presentation of Schemes under the National Pension System (NPS)” dated 28.08.2026, shall be governed by their respective guidelines/circulars.

8. This circular shall supersede the circular no. PFRDA/2026/16/REG-POP/01 dated 10.03.2026 with subject matter “Charge structure of Point of Presence (PoP) for Common Schemes under NPS (All Citizen) including NPS Vatsalya and NPS Lite” w.e.f., 01.10.2026.

9. This charge structure shall be implemented by the Central Recordkeeping Agencies for the deduction of charges starting from Q3 of FY 2026-27 onwards.

10. This Circular is issued in exercise of powers conferred under sub-section (1) of Section 14 read with clause (e) of sub-section (2) of Section 14 of Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013, to protect the interests of the subscribers to schemes of pension funds, promotion and development of the pension industry.

**Yours Sincerely,**

**Ashish Kumar**
**Chief General Manager**
**Regulation Contribution Management Department (PoP)**



5 वीं मंजिल, टॉवर ई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, न्यू दिल्ली - 110029
**5th Floor, Tower E, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi – 110 029**
**Phone: 011 - 26517501, 26517503. website: www.pfrda.org.in**

nps national pension system #Zaruri Hai